

न्यायालय तहसीलदार, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :: मांगेराम पूनियां, R.T.S.
मिसल नं. :: 208 / 2021

सरकार बनाम बिहारीलाल पुत्र दुलीचन्द, जाति-मेघवाल,
निवासी-खेड़ला

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक 18.10.2021

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल बावजूद सूचना अनुपस्थित। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल बिहारीलाल पुत्र दुलीचन्द, जाति-मेघवाल, निवासी-खेड़ला ने रोही मौजा खेड़ला की राजकीय भूमि ख.नं. 305 कुल रकबा 0.18 है 0 किस्म गै.मु. रास्ता में से 0.01 है 0 भूमि पर चारदीवारी बनाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल बावजूद सूचना अनुपस्थित। अतः एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरुद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 5 रु. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावे। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावे। मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

र० ले० सं० 4 के पृष्ठ सं.....³ पर
वर्ष 2021-22 में रुपये...^{5/-} कायम की

राजस्व लेखाकार

कि'
(मांगेराम पूनियां)
तहसीलदार, सूरजगढ़